बिहार सरकार
कृषि विभाग

बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

कृषि प्रक्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदनपत्र का आमंत्रण

कौशल विकास मिशन के तहत कृषि प्रक्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदनपत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रशिक्षणार्थयों का पंजीयन बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर निम्न प्रकार से होगा–

1. इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी कृषि क्षेत्र के डोमेन स्किल के निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु अपना पंजीयन http://www.skillmissionbihar.org पर जाकर स्वयं कर सकते हैं।
2. कौशल प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी द्वारा उम्मीदवारों का मोबीलाइजेशन कर उनका पंजीयन बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर अपने login द्वारा किया जाएगा।
3. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले कोर्स के अनुसार आए अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को आत्मा/प्रशिक्षण संस्थान (जो बी0एस0डी0एम0 से अनुमोदित सेन्टर के लिए) द्वारा http://www.skillmissionbihar.org पर जाकर अपने Login से पंजीयन किया जाएगा।
4. कृषि प्रक्षेत्र अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों (कोर्सों) के लिए निर्धारित वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र, बी0एस0डी0एम0 के पोर्टल पर निबंधन एवं आवेदन देने की प्रक्रिया, आवेदन पत्र का प्रपत्र, अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया, प्रशिक्षण के संचालन संबंधी अनुदेश से संबंधित Reference for proposal (RFP) कृषि विभाग के वेबसाईट www.krishi.bih.in एवं बामेती के वेबसाईट www.bameti.org पर उपलब्ध हैं, जिसे किसी भी समय देखा जा सकता है एवं डाउनलोड किया जा सकता है अथवा कार्यालय अवधि में बामेती, बिहार, पटना एवं संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
5. अभ्यर्थी ऑन लाईन पंजीयन जिला कृषि कार्यालय/परियोजना निदेशक, आत्मा कार्यालय के कम्प्यूटर सेल में/प्रखंड अंतर्गत ई–किसान भवन/संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में करा सकते हैं अथवा बसूधा केन्द्र एवं अन्य जगहों से भी करा सकते हैं।
6. इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों का चयनोपरांत प्रशिक्षण संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओं के सिद्धांत पर किया जाएगा।
7. विशेष जानकारी हेतु अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, आत्मा, वरीय वैज्ञानिक–सह–प्रधान कृषि विज्ञान केन्द्र तथा प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं कृषि समन्वयक से सम्पर्क किया जा सकता है।

23/6/17
निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

बिहार सरकार
कृषि विभाग
बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

कौशल विकास मिशन के कार्यान्वयन हेतु Reference for Proposal (RFP)

1. **परिचय** –राज्य में युवक/युवतियों को उनके कौशल ज्ञान की गुणवत्ता बढ़ाने तथा पेशेवर ज्ञान देने के लिए विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में बिहार कौशल विकास मिशन का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 05 वर्षों में कुल एक करोड़ युवा/युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. **कार्यक्रम का उद्देश्य**–इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–
   - युवक एवं युवतियों को कृषि के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देकर कुशल तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता/क्षमता का विकास करना।
   - युवक एवं युवतियों को कृषि के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षणोपरांत रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
   - राज्य में कुशल कामगारों का एक सतत् पूल विकसित करना ताकि आने वाले समय में औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनके माँग के अनुरूप कुशल कारीगर उपलब्ध हो सकें तथा प्रतिष्ठानों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री/उपादान का निर्माण हो सके।
   - औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करना।
   - कौशल विकास केन्द्रों को चिन्हित कर अनुदान देकर अधिक से अधिक युवक एवं युवतियों को कौशल प्रशिक्षण का आयोजन कराना।
   - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित कर तथा विशेषज्ञों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर अद्यतन तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कराना।
   - किसानों के फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना।
   - कृषि के क्षेत्र में उद्यमियों/किसानों के आमदनी में वृद्धि करना।

3. **वर्ष 2016–17 में स्वीकृत योजना के लिए कॉस्ट नॉमर्स** –

3.1 Base Cost/ Training Cost - वर्तमान में कोटि वार Cost Norms निम्न प्रकार से है –

(क) कोटि 1 - रु0 40.40 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति पाठ्यक्रम प्रति घंटा
फार्म मशीनरी, फार्म मैकेनाइजेशन, प्रेसिजन फार्मिंग

(ख) कोटि 2 - रु0 34.70 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति पाठ्यक्रम प्रति घंटा
कृषि, बागान, बागवानी, फूलों की खेती

(ग) कोटि 3 - रु0 28.9 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति पाठ्यक्रम प्रति घंटा
मधुमक्खी पालन, घर सजावट कला – बोनसाई, फूल, पानी गिरना, माइनर वन उत्पाद प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन, प्राकृतिक फाइबर उत्पाद प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन (रेशम उत्पादन, जूट, कपास, सन और विविध उत्पाद)

नोटः–इस बेस कॉस्ट/प्रशिक्षण कॉस्ट में प्रतिघंटा दर में निम्नलिखित लागत घटक शामिल है

i. उम्मीदवारों को इक्ट्ठा करना, प्रचार–प्रसार एवं जोड़ना (Mobilization of Candidates)
ii. नियोजन उपरान्त ट्रैकिंग/पर्यवेक्षण (Post-Placement Tracking /Monitoring)
iii. पाठ्यक्रम (Curriculum)
iv. प्लेसमेन्ट/तैनाती व्यय (Placement Expenses)
v. प्रशिक्षक प्रशिक्षण (Trainer's Training)
vi. उपकरण (Equipment)
vii. संरचना लागत/उपयोगी सुविधाओं का परिशोधन/उपयोग (Amortization of infrastructure costs / Utilities)
viii. शिक्षण सहायता (Teaching Aid)
ix. कच्ची सामग्री (Raw material)
x. प्रशिक्षकों का वेतन (Salary of trainers)
xi. प्रशिक्षण में पोर्टल उपयोग के लिए देय शुल्क–पोर्टल के उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति पाठ्यक्रम (वास्तिविक प्रशिक्षण के लिए पोर्टल उपयोग) प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी के भुगतेय राशि में से रू0 0.50 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति पाठ्यक्रम प्रति घंटा की दर से BSDM को भुगतान किया जाना है। डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी को अलग से संसूचित किया जायेगा।

यह सभी राशि संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा BSDM को उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि Training Cost में सम्मिलित है। प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी द्वारा भुगतेय राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से BSDM Account Name-Bihar skill Development Mission Payable at- Patna को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।

3.2. एक बार परिवहन व्यय **(One time Transportation Cost)**–आवासीय प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थी को आने जाने के लिए एक बार यात्रा भाड़ा देने का प्रावधान है। इसमें यात्रा के क्रम में वास्तविक भाड़ा देय होगा जो अधिकतम रू0 1000 प्रति प्रशिक्षणार्थी होगा जिसे अभ्यर्थी के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाएगा।

3.3 बोर्डिंग एवं लॉजिंग–आवासीय प्रशिक्षण हेतु वास्तिवक लागत अधिकतम प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन निम्न तालिका अनुसार देय होगी –

- रू0 250=00 प्रति दिन प्रति प्रशिक्षणार्थी (पटना नगर निगम के लिये)
- रू0 200=00 प्रति दिन प्रति प्रशिक्षणार्थी (अन्य नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्र में)
- रू0 175=00 प्रति दिन प्रति प्रशिक्षणार्थी (अन्य सभी क्षेत्र, नगर पंचायत सहित)

बोर्डिंग एवं लॉजिंग शुल्क गणना के लिये प्रति दिन 6घंटे का प्रशिक्षण माना जायेगा।

3.4.- प्लेसमेंट के लिए प्रोत्साहन–

- अगर बैच वेतनमान प्लेसमेंट दर 70–80 प्रतिशत है तो सभी प्रमाणीकृत अभ्यर्थियों जिनका नियोजन वेतनमान पर हुआ है उनके लिए रू0 3,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति प्लेसमेंट प्रोत्साहन राशि प्रशिक्षण केन्द्र देय होगी।
- अगर बैच वेतनमान प्लेसमेंट दर 80 प्रतिशत से अधिक है तो सभी प्रमाणीकृत अभ्यर्थियों जिनका नियोजन वेतनमान पर हुआ है उनके लिए रू0 5,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति प्लेसमेंट प्रोत्साहन राशि प्रशिक्षण केन्द्र को देय होगी।

3.5.Post Placement support (Post-placement support (PPS) for Special Areas/Groups for wage employment • Special Areas in context of Bihar: Left Wing Extremists (LWE) as per the Home Ministry notification. • Special Groups: Women and PwD Candidates)Women, PwD candidates) (Not applicable for RPL)	Within District of domicile	Men (one month)@ Rs. 1500.00 per month
		Women (Two Month) @ Rs. 1500.00 per month
	Out side district of domicile	Men (Two Month) @ Rs. 1500.00 per month
		Women (Three Month) @ Rs. 1500.00 per month

नोट –गृह विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी बिहार के नक्सलाईट जिलों की सूची संलग्न है (अनुसूची–01)।

3.6 **कैरियर प्रमोशन** –रू0 5000 प्रति अभ्यर्थी (एक वर्ष के ट्रैकिंग काल में लगातार तीन महीने तक रू0 15,000 प्रति माह वेतन पाने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए प्रशिक्षणप्रदाता एजेंसी को प्रोत्साहन राशि के रूप में देय होगा)

नोट– यह प्रोत्साहन राशि सिर्फ वेतनमान वाले अभ्यर्थी के लिए देय होगा अर्थात स्वरोजगार के लिए देय नहीं होगा।

3.7.-मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण शुल्क–रू0 1000 प्रति अभ्यर्थी का प्रावधान है

3.8.टूलकिट्स तथा दूसरे प्रशिक्षण सामग्री–रू0 1000 प्रति अभ्यर्थी का प्रावधान है

3.9. पाठ्यक्रम निबंधन शुल्क–रू0 1000 प्रति कोर्स प्रति वर्ष प्रावधान है।

3.10. केन्द्र पंजीयन शुल्क–रू0 3000 प्रति सेन्टर प्रथम वर्ष।
नवीकरण शुल्क – दूसरे वर्ष से रू0 1500 प्रति वर्ष प्रति सेन्टर

4. कोर्स/पाठ्यक्रम का चयन – इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण केन्द्र एवं कोर्स/पाठ्यक्रम का चयन करेंगे तथा आवेदन पत्र में इससे संबंधित सूचना अंकित करेंगे।

5. Agriculture Skill Council of India (ASCI)/ बी0एस0डी0एम0 द्वारा प्रत्येक कोर्स के लिए निर्धारित प्रशिक्षण अवधि हीं लागू माना जाएगा।

6. प्रशिक्षण संस्थान का बी0एस0डी0एम0 पोर्टल पर निबंधन होने के बाद हीं संबंधित संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

7.**कौशल प्रशिक्षण का अवकाश** –कौशल प्रशिक्षण का अवकाश BSDM द्वारा निर्धारित अवकाश के आधार पर देय होगा जो बी0एस0डी0एम0 की www.skillmissionbihar.orgपर उपलव्ध होगा।

8.**प्रशिक्षणार्थियों के निबंधन, आवेदन देने एवं उनके चयन की प्रक्रिया –**

8.1.प्रशिक्षणार्थी की शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र –प्रशिक्षणार्थियों का न्यूनतम उम्र 15 से 59 वर्ष रखा गया है तथा संबंधित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को पूरा करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे।

8.2.प्रशिक्षु/लाभार्थी का BSDM पोर्टल पर पंजीकरण –

- इच्छुक एवं योग्य लाभार्थियों द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र (अनुसूची–02) में ऑन लाईन आवेदनपत्र दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र, निवास प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (आरक्षण कोटि के लिए) एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र आदि संलग्न किया जाएगा जिसका विवरण निम्न प्रकार से है –

➢ आवेदक का स्वअभिप्रमाणित फोटो

➢ **पहचान पत्र** –पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/सेवा पहचान पत्र/बैंक पासबुक Property Documents, SC/ST/OBC Certificates, Arm License, Certificate of Physical Handicap, Job Card Issued by NREGA, Health Insurance Smart Card में से किसी एक की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

➢ **निवास प्रमाण पत्र**– निवास प्रमाणपत्र के रूप में आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/रासन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बैंक पासबुक/सम्पति दस्तावेज/नगर निगम अधिकारियों या रजिस्टरार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्र/सरकारी/मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्र/पंचायत सेवक

द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्र/अद्यतन बिजली बिल/लैंड लाईन टेलिफोन बिल/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाणपत्र की प्रति में से किसी एक की प्रति।

- **आयु प्रमाणपत्र** –आयुप्रमाणपत्र के रूप में आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बैंक पासबुक/सम्पति दस्तावेज/नगर निगम अधिकारियों या रजिस्टरार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्र/सरकारी/मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्र/मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो/पंचायत सेवक द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्र की प्रति में से किसी एक की प्रति।
- **शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र**

8.2.1 पंजीयन की प्रक्रिया –

i.इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अपना पंजीयन http://www.skillmissionbihar.org पर जाकर स्वयं करेंगे।

ii. उम्मीदवारों का मोबीलाइजेन संबंधित विभाग अथवा कौशल प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

- चूँकि योजना का यह प्रारंभिक वर्ष है इसलिए जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों को BSDM पोर्टल पर निबंधित कराने में सहयोग करेंगे।
- BSDM पोर्टल पर पंजीयन की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा।

आवेदन पत्र जिला/प्रखंड स्तर पर परियोजना निदेशक, आत्मा/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/किसान सलाहकार द्वारा भी लिया जाएगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपने प्रखंड अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध कागजातों को साप्ताहिक रूप से संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा को भेजेंगे तथा परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा इसे साप्ताहिक रूप से प्रशिक्षणार्थी द्वारा नामित प्रशिक्षण संस्थान एवं कोर्स से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को भेजा जाएगा।

बाद में संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0एस0डी0एम0 पोर्टल पर चयनित अभ्यर्थियों का पंजीयन किया जाएगा।

- जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा अपने कार्यालय के कम्प्यूटर सेल में तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/कृषि समन्वयक ई–किसान भवन में इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों को बी0एस0डी0एम0 पोर्टल पर निबंधित कराने में सहयोग करेंगे।

- बी0एस0डी0एम0 पोर्टल पर पंजीयन की व्यवस्था नहीं होने अथवा ऑन लाईन काम नहीं करने की स्थिति में इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/जिला तथा प्रखंड स्तर पर परियोजना निदेशक, आत्मा/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/किसान सलाहकार को ऑफ लाईन आवेदन पत्र उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यालय द्वारा बाद में इसे ऑनलाईन कराकर उसकी हार्ड कॉपी संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी।

बाद में संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0एस0डी0एम0 पोर्टल पर संबंधित अभ्यर्थियों का पंजीयन किया जाएगा। ऑन लाईन आवेदन देने की प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी जबतक संबंधित विषय में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार योग्य आवेदनपत्र प्राप्त हो नहीं जाते हैं। प्रशिक्षण संस्थानवार कोर्सवार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या से संबंधित विवरणी अनुसूची–8 के रूप में संलग्न है जिसमें से किसान अपनी आवश्यकता के अनुरूप कोर्स का चयन कर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के लिए ऑन लाईन आवेदन देंगे।

8.3. लाभार्थियों का चयन – लाभार्थियों का चयन संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। परन्तु आवेदन पत्रों के जाँचोपरांत योग्य अभ्यर्थियोंका हीं चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों/लाभार्थियों के चयन में 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 01 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

8.4. प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षु/अभ्यर्थियों द्वारा देय शुल्क –प्रशिक्षण निःशुल्क है परन्तु प्रशिक्षणार्थियों को अग्रिम राशि के रूप में पाठ्यक्रम फीस की 10 प्रतिशत राशि अधिकतम रू0 1,000 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन Account Name-Bihar skill Development Mission Payable at- Patna को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण होने तथा प्रमाणीकरण हो जाने के बाद यह राशि वापस हो जाएगी परन्तु बीच अवधि में प्रशिक्षण छोड़ने या प्रमाणीकरण नहीं होने की स्थिति में यह राशि जब्त कर ली जाएगी।

9. **प्रशिक्षण का आयोजन** –बी0एस0डी0एम0पोर्टल पर प्रशिक्षण संस्थानों के निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण होने तथा वांछित संख्या में प्रशिक्षणार्थियों के ऑनलाईन आवेदनपत्र प्राप्त होने के उपरांत उनका चयन तथा चयनोपरांत ए0एस0सी0आई0 द्वारा आयोजित टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण में संबंधित कोर्स के लिए उत्तीर्ण प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा।

10. नए बैच के प्रशिक्षण का हेतु अनुमोदन,:- चयनितअभ्यर्थियों कीसूची आधार कार्ड सहित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान के माध्यम से निदेशक बामेती को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी| अनुमोदन के बाद ही नए बैच का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा सकेगा।

नए बैच के प्रशिक्षण का प्रारंभ –सभी नए बैच के प्रशिक्षण का प्रारंभ माह की पहली या 15वीं तारीख को होगा। यदि 01 या 15 को कोई सरकारी अवकाश है तो नए बैच के प्रशिक्षण का प्रारंभ 02 या 16 को किया जा सकेगा।

11. प्रगति प्रतिवेदन एवं पर्यवेक्षण –जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, आत्मा इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी होंगे जो इस कार्यक्रम का सतत् पर्यवेक्षण करेंगे तथा साप्ताहिक/मासिक रूप से प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित नोडल ट्रेनिंग संस्थान द्वारा प्रगति प्रतिवेदन परियोजना निदेशक, आत्मा को देते हुए इसकी एक प्रति निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

12. मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण एजेंसी –

- **मूल्यांकन**–QP-NOS पाठ्यक्रम –Sector Skill Council (SSC) द्वारा नियुक्त मूल्यांकन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- **प्रमाणीकरण**–QP-NOS पाठ्यक्रम – संबंधित Sector Skill Council (SSC) द्वारा प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा।

13. प्लेसमेंट जनादेश –सभी योजनायें जो बिहार कौशल विकास मिशन के मार्गदर्शिका से आच्छादित है उन्हें स्वरोजगार सहित न्यूनतम 50 प्रतिशत प्लेसमेंट सुनिश्चित करना है। परन्तु कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावना काफी कम है इसलिए रोजगार के साथ स्वरोजगार के लिए 50 प्रतिशत प्लेसमेंट में कठिनाई को देखते हुए निर्णय लिया गया कि संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी प्रशिक्षण के प्रारंभ से हीं अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई अपने स्तर से करेगी।

13.1 **प्लेसमेन्ट की परिभाषा**

- प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षाफल घोषणा के तीन माह के अन्तर्गत प्लेसमेन्ट करना अनिवार्य होगा। प्लेसमेन्ट का मतलब होगा कि उम्मीदवार ने पेश की गई नौकरी में योगदान कर लिया हो तथा लगातार न्यूनतम 3 माह तक अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहा हो। प्लेसमेन्ट मजदूरी या स्वरोजगार के रूप में हो सकता है।

13-2. मजदूरी रोजगार

- प्रशिक्षणार्थियों का नियोजन ऐसी जगह होना चाहिये जहाँ उसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीहो। अभ्यर्थी उस नियोजन अथवा उच्चतर नियोजन में मूल या किसी अन्य नियोजक के साथ में योगदान की तिथि से न्यूनतम तीन माह तक रहना चाहिये।

13-3. स्व नियोजन की स्थिति

- उम्मीदवार का जीविका वृद्धि व्यवसायों में लाभप्रद रोजगार होना चाहिये जिनके पास सबूत के तौर पर व्यापार लाईसेंस, उद्वम की स्थापना या एक निर्माता समूह का सदस्य तथा अतिरिक्त आय के प्रमाण के रूप में (बैंक स्टेटमेन्ट) या, बिहार कौशल विकास मिशन/संबंधित विभाग/मंत्रालय द्वारा विहित अन्य उपयुक्त और निरीक्षण योग्य साक्ष्य।

- स्व नियोजन के लिए प्रशिक्षण के दौरान सेंट्रल / राज्यस्तरीय योजनाओ से प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी देकर जोड़ना है ! सभी योजनाओ में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी

14. **प्रशिक्षणार्थी / अभ्यर्थी को प्रोत्साहन देय राशि** –कौशल विकास मिशन योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए कोई छात्रवृति देय नहीं होगी।

15. बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्गत अनुदेश के आलोक में इस योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा तथा उपर्युक्त सभी अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यादेश के अनुसार स्वीकृत दर हीं लागू माना जाएगा। वर्ष 2016–17 में जिन प्रशिक्षण केन्द्रों के पंजीयन एवं अन्य कार्य की राशि को कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं किया गया है उस राशि का समायोजन कौशल विकास मिशन 2016–17 के लिए राज्य स्तर पर आकस्मिकता मद में उपलब्ध राशि से किया जाएगा।

29/6/17

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

अनुसूची -1

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Home Affairs

24-February-2016 16:13 IST

LWE affected districts

At present 106 districts in 10 States have been identified by the Government of India as Left Wing Extremism (LWE) affected districts in the country, as per list below:

List of 106 districts covered under the SRE Scheme

Andhra Pradesh	**Chhattisgarh**	**Maharashtra**
1. Anantapur	39. Bastar	77. Chandrapur
2. East Godavari	40. Bijapur	78. Gadchiroli
3. Guntur	41. Dantewada	79. Gondia
4. Kurnool	42. Jashpur	80. Aheri
5. Prakasam	43. Kanker	
6. Srikakulam	44. Korea (Baikunthpur)	**Orissa**
7. Visakhapatnam	45. Narayanpur	
8. Vizianagaram	46. Rajnandgaon	81. Gajapati
	47. Sarguja	82. Ganjam
Telengana	48. Dhamtari	83. Keonjhar
	49. Mahasamund	84. Koraput
9. Adilabad	50. Gariyaband	85. Malkangiri
10. Karimnagar	51. Balod	86. Mayurbhanj
11. Khammam	52. Sukma	87. Navrangpur
12. Medak	53. Kondagaon	88. Rayagada
13. Mehboobnagar	54. Balrampur	89. Sambhalpur
14. Nalgonda		90. Sundargarh
15. Warangal	**Jharkhand**	91. Nayagarh
16. Nizamabad		92.Kandhamal
	55. Bokaro	93.Deogarh
Bihar	56. Chatra	94.Jajpur
	57. Dhanbad	95.Dhenkanal
17. Arwal	58. East Singhbhum	96. Kalahandi
18. Aurangabad	59. Garhwa	97. Nuapada
19. Bhojpur	60. Giridih	98. Bargarh
20. East Champaran	61. Gumla	99. Bolangir
21. Gaya	62. Hazaribagh	
22. Jamui	63. Koderma	
23. Jehanabad	64. Latehar	**Uttar Pradesh**
24. Kaimur	65. Lohardagga	
25. Munger	66. Palamu	100. Chandauli
26. Nalanda	67. Ranchi	101. Mirzapur
27. Nawada	68. Simdega	102. Sonebhadra
28. Patna	69. Saraikela-Kharaswan	
29. Rohtas	70. West Singhbhum	**West Bengal**
30. Sitamarhi	71. Khunti	
31. West Champaran	72. Ramgarh	103. Bankura
32. Muzaffarpur	73. Dumka	104. West Midnapore
33. Sheohar	74. Deoghar	105. Purulia
34. Vaishali	75. Pakur	106. Birbhumi
35. Banka		
36. Lakhisarai	**Madhya Pradesh**	
37. Begusarai		
38. Khagaria	76. Balaghat	

Accepting the recommendations of Fourteenth Finance Commission, the share of States in the net proceeds of Union taxes has been enhanced from 32% to 42% by the Central Government. Consequently the Integrated Action Plan (IAP), renamed

'Additional Central Assistance (ACA) for LWE affected districts', has been transferred to the States giving them sufficient flexibility to conceive and implement schemes/programmes suited to their local needs and aspirations, including requirements to bridge the developmental deficit gaps in backward regions within the States. Hence, no fund allocation has been made to MHA under the Scheme for the financial year 2015-16.

This was stated by the Minister of State for Home Affairs, Shri Haribhai Parathibhai Chaudhary in a written reply to a question by Shri Bhupinder Singh in the Rajya Sabha today.

****

KSD/NK/KM/RS/76

अनुसूची - 2

Annexure 1

Application Form

Please fill in the form in English and CAPITAL letters only

Please read the important information before filling the details.

All fields marked with '*' are MANDATORY

Section 1: To be filled in by the Skill Development Centre only post batch allocation (*The spaces in section 1 will be non-editable at time of candidate registration*)

Center Code*		
Candidate Registration Number as per BSDM portal*		
Course Code*		<Course Name>
Batch Start Date*		
Batch End Date*		

Please affix/upload the applicant's passport size photograph. (Photo with front facing. Face and preferably both ears should be clearly visible)

Section 2: To be filled in by the Candidate / Applicant

First Name*	
Middle Name	
Last Name / Surname	
Father's Name*	
Mother's Name*	

Name of the Applicant as it should appear on the Final Certificate. Leave a blank space after each word

Name as it should appear on the Certificate*	< To be autopopulated>	
Date of Birth (DD-MM-YYYY)*		
Gender*	<Radio buttons or Dropdown with options as Male, Female, Transgender>	
Marital Status*	<Radio buttons or Dropdown with relevant options>	
Mother Tongue		
Religion*	<Dropdown with one option as Other>	*If Religion chosen as "Other" then the religion can be specified in this additional text field*
Category*	<Radio buttons or Dropdown with options as SC,BC,EBC,ST,General,Other>	
If SC, Caste Name	*Note: will be activated only if the Category in the above field is selected as "SC"*	
Family Income (RS. Per month)		

Family Income in Words	
Two visible identification marks	To be mentioned as "None" if no visible mark

Section 3: Address Details

<u>Residential Address</u>

Country*	
State*	
District*	
Rural / Urban*	
Tehsil / Block / Urban Area*	
Address / Street / Building*	
City / Village Name	
Post Office*	
Pin Code*	
Nationality*	

Is Permanent Address same as Residential Address □

<u>Permanent Address</u>

State*	
District*	
Rural / Urban*	
Tehsil / Block / Urban Area*	
Address / Street / Building*	
City / Village Name	
Post Office*	
Pin Code*	
Nationality*	

Correspondence Address : <Dropdown with option as "Residential" and "Permanent">

Section 4: Family Details

Sr. No.	Name	Relation	Age	Gender	Marital Status	Source of Income
		Father		M	M	
		Mother		F	M	
		(Add)				

Section 5: Contact Details

Mobile No. (Own)*	+91<Number>
Mobile No. (Other)	+91<Number>
Tele. No. (STD Code)	

Tel. (Residential)	
Email Address*	

Section 6: Profile & Qualification

Profile of Learner*	<Radio Buttons or Dropdown with options as Student, Employed, Homemaker, Unemployed, Self-employed, Farmer, Others. If Others is chosen a text field to specify the profile needs to be provided>

<u>Educational Qualification*</u>

	If Below Xth	Xth	XIIth	Grad.	P. Grad	Any other Certification
Highest Educational Qual.			Stream:	Stream:	Stream:	Trade:
	Standard: Year:	Year of Passing: Roll / Index No: School Code/Roll Code/School Name: Text Field	Year of Passing: Roll / Index No: School Code/Roll Code/School Name:Text Field	Year of Passing: Roll / Index No: School Code/Roll Code/School Name:Text Field	Year of Passing: Roll / Index No: School Code/Roll Code/School Name:Text Field	Duration & Year:
				Degree Name:	Degree Name:	Certificate Name:
	Institution:	Institution:	Institution:	Institution:	Institution:	Institution:
	Board:	Board:	Board:	University:	University:	Certifying Body:
	Grade / %:	Grade / %:	Grade / %:	Grade / %:	Grade / %:	Grade / %:

<u>Language Proficiency*</u>

Language	Reading Skills	Writing Skills	Speaking Skills
	<Radio buttons with options as Good, Average, Poor,NA>	<Radio buttons with options as Good, Average, Poor,NA>	<Radio buttons with options as Good, Average, Poor,NA>
	<Radio buttons with options as Good, Average, Poor,NA>	<Radio buttons with options as Good, Average, Poor,NA>	<Radio buttons with options as Good, Average, Poor,NA>
	<Radio buttons with options as Good, Average, Poor,NA>	<Radio buttons with options as Good, Average, Poor,NA>	<Radio buttons with options as Good, Average, Poor,NA>
<Provision to ADD more than 3 languages>			

<u>Short Term Skill Development Training already attended (If any)</u>

Sector	Course	Year of Trainin	Course Duratio	Course Prescribed By	Training Funded by <Self/Govt.	Certificate	Certificate Issued By

	Name	g	n	<SSC/MES/Any other agency>	Department's name/Organizations name>	Received <Yes/No>	<Certifying Agency Name>
<provision to add more training in case of multiple skill development (domain) training undertaken>							

Work Experience

Employment Status*	<Radio buttons with options as Wage Employment, Self-Employment and Not Applicable>

If Wage Employment Selected above then the below table needs to be filled

Organization Name	Designation	From Date (DD/MM/YY)	To Date (DD/MM/YY)	Total Experience in Years
<Provision to be provided to add rows here to show multiple firms experience>				
Total Years of Experience			Last Drawn Monthly Salary (In Rupees)	

Disability Information (If applicable, provide certificate)

If applicable tick on type and mention %	Not Applicable		Blindness & Low Vision		Hearing Impairment		Cerebral Palsy & Loco Motor Disability		Any Other (Please Specify)	
	□	%:	□	%:	□	%:	□	%:	<Specify>	%:

Section 7: Bank and Aadhaar Card Details

Bank Account No.*	
IFSC Code*	
Bank Name*	
Bank Account Holder's Name*	
Aadhaar Card No.*	
PAN	

Section 8: Training Preference

Training Location Preference:*

- District Dropdown (Mandatorily to select one)
- Block Dropdown (Default Value "Any") – If a certain District is chosen from the dropdown above then the blocks for that district will only be shown in this dropdown.

Sector & Course Preference:*

Preference 1	Preference 2
<Sector Dropdown>	<Sector Dropdown>
<Course Dropdown>	<Course Dropdown>

Note: *For the course dropdown - If a certain Sector is chosen from the dropdown above then the courses for that sector will only be shown in this dropdown.*

Section 9: Documentary Proofs

Mention the document type and number. Submit scanned copies of the relevant documents

ID and Other Documentary Proofs (Originals verified by SDCs before enrolment)			
Identity Proof (Any one)*	Document Type: <Any suitable document from Annexure 1>	Doc. No.:	<Document uploading>
Address Proof (Any one)*	Document Type: <Any suitable document from Annexure 1>	Doc. No.:	<Document uploading>
Educational Qualification Proof (For Highest educational Qualification)*	Document Type:	Doc. No.:	<Document uploading>
Age Proof (Any one)*	Document Type: <Any suitable document from Annexure 1>	Doc. No.:	<Document uploading>
Aadhaar Card*	Document Type: <Aadhaar Card >	Doc No:	<Document uploading>
Bank Account proof (Passbook/Cancelled Cheque)*	Document Type:	Doc. No.:	<Document uploading>
PAN Card	Doc No:		<Document uploading>
Caste Certificate (If applicable)	Document Type:	Doc. No.:	<Document uploading>
BPL Proof (If applicable)	Document Type:	Doc. No.:	<Document uploading>
PWD Certificate (If applicable)	Document Type:	Doc. No.:	<Document uploading>
NREGA Job Card No. (If applicable)	Doc. No.:		<Document uploading>
BOCW Registration document (Card) (If applicable)	Doc. No.:		<Document uploading>
Any other document	Document Type:	Doc. No.:	<Document uploading>

Section 10: Declarations*

- I hereby declare that I am not currently availing any kind of skill training
- If selected for 'Domain Skilling' training, I hereby undertake:
  - To attend and Participate in all the sessions/classes of the aforesaid Training Program diligently
  - To maintain discipline and follow the instructions of the trainer, while undergoing the said Training Program
  - To successfully complete the Training Program
  - I understand that I will be deemed Ineligible for assessment and certification unless, I fulfil the above criteria and meet the assessment standards.
- I hereby declare that all the information and documents provided by me with this application are true to the best of my knowledge. If any information provided by me is found to be incorrect during subsequent verification, the State Government can initiate legal action against me.

Aadhaar Card usage related declaration:

I have submitted my Aadhaar Number and I wilfully agree to the following:

- Linking of my Aadhaar Number (Provided by UIDAI, Govt. of India) with the Bank Account provided by me in this Application form.
- My Aadhaar Number to be registered with National Payments Corporation of India (NPCI) so that any benefit under the Govt.'s Direct Benefit Transfer (DBT) scheme can be provided in my Bank Account provided by me in this Application form. I understand that if there are more than one type of benefits pending, I would want to get those benefits in my Bank Account provided by me in this Application form.
- Usage of UIDAI provided Aadhaar Number to verify my identity
- Usage of the mobile number provided by me in this application form for any SMS alerts
- I understand that the information given above regarding my Aadhaar Number will be used for the aforementioned work or legal requirements only and not for any other purpose.

Date of Filling the Form*	
Signature (scanned copy with name in bracket on plain paper to be uploaded)*	<upload option>

Annexure 1: List of acceptable documents for Identity (ID), Address and Age Proof:

Sl. No.	Acceptable Document	ID Proof	Address Proof	Age Proof
1	Valid Passport Copy	YES	YES	YES
2	Valid Driving License	YES	YES	YES
3	Pan Card	YES	NO	YES
4	Service Identity Card	YES	NO	NO
5	Passbook	YES	YES	NO
6	Property Documents	YES	YES	NO
7	SC/ST/OBC Certificates	YES	NO	NO
8	Arm License	YES	NO	NO
9	Certificate of Physical Handicap	YES	NO	NO
10	Job Card Issued by NREGA	YES	NO	NO

11	Voter ID / Election Card	YES	YES	YES
12	Health Insurance Smart Card	YES	NO	YES
13	Aadhaar Card (UIDAI)	YES	YES	YES
14	Birth Certificate issued by Municipal authorities or district office of the Registrar of Birth & Deaths or Baptism certificate	NO	YES	YES
15	Birth certificate from School (Govt. / Recognized) last attended by the applicant or any other recognized educational institution	NO	YES	YES
16	Birth certificate issued by Panchayat Sevak	NO	YES	YES
17	If a person is class 10 or more pass, he should give a copy of the mark sheet of class 10, if it contains date of birth as proof of date of birth	NO	NO	YES
18	Mark sheet of class 8th if it contains date of birth	NO	NO	YES
19	Mark sheet of class 5th if it contains date of birth	NO	NO	YES
20	Ration Card	NO	YES	NO
21	Utility Bill (issue date should not be more than 3 months old from the date of application) like electricity bill, landline telephone bill, mobile (post-paid) bill, piped gas bill, water bill issue by local authority	NO	YES	NO
22	Municipal corporation bill like property tax bill, water tax bill	NO	YES	NO
23	Registered Lease & License Agreement along with utility bill in the name of landlord (Permanent address proof along with valid address proof is mandatory)	NO	YES	NO
24	Domicile certificate with name, Photo (optional) and Communication address issued by District Collector / Deputy Commissioner / District Magistrate / Sub Divisional Magistrate / Circle Officer	NO	YES	NO